कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीग

क्रमाक–सहा0 / 2025 / दिनांक–यथाहस्ताक्षर

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीत लहर एवं बढती हुई ठंड को देखते हुए, जिले में ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 09.01.2025 तक , जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मै, डॉ0 अमित यादव जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन आपदा प्राधिकरण डीग ,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीग जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 09.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष स्टॉफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था निर्धारित समय के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर ,डीग

क्रमाक–सहा0 / 2025 / दिनांक–यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त निदेशक ,माध्यामिक शिक्षा, संभाग भरतपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार समस्त जिला डीग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डीग को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय / प्रारम्भिक माध्यामिक, डीग
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला डीग
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी डीग।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.06 18:27:27 IST
Reason: Approved

जिला कलक्टर
डीग

RajKaj Ref No.: 12835778